राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

क्र. सं.	अपील संख्या	अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थी विभाग	अपीलार्थी के अधिवक्ता का नाम
1.	500 / 2025	सुरेन्द्र सिंह	1. निदेशक (अराजपत्रित) एवं अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) पंचायती राज (चिकित्सा) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर। 2. चिकित्सा अधीक्षक, श्री कल्याण मेडीकल कॉलेज एवं संलग्न चिकित्सालय, सीकर। 3. अनीता कुमारी, नर्सिंग ऑफीसर, महात्मा गांधी चिकित्सालय, जोधपुर।	श्री सुरेश खदाव श्री संदीप कुमार
2.	502 / 2025	नरेन्द्र कुमार भडाला	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक (अराजपत्रित) एवं अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) पंचायती राज (चिकित्सा) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर। 3. चिकित्सा अधीक्षक, श्री कल्याण मेडीकल कॉलेज एवं संलग्न चिकित्सालय, सीकर।	श्री संदीप कुमार श्री सुरेश खदाव श्री एल डी लखेरा
3.	503 / 2025	विनोद कुमार बोचल्या	1. निदेशक (अराजपत्रित) एवं अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) पंचायती राज (चिकित्सा) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर। 2. चिकित्सा अधीक्षक, श्री कल्याण मेडीकल कॉलेज एवं संलग्न चिकित्सालय, सीकर। 3. पार्वती सैनी, नर्सिंग ऑफीसर, महात्मा गांधी चिकित्सालय, जोधपुर।	श्री लीलाधर लखारा श्री सुरेश खदाव श्री संदीप कुमार
4.	504 / 2025	धर्मपाल हरिजन	1. निदेशक (अराजपत्रित) एवं अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) पंचायती राज (चिकित्सा) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर। 2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सीकर। 3. ब्लॉक मुख्य चियकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, फतहपुर जिला सीकर। 4. रजनीश, नर्सिंग ऑफीसर, श्री जवाहर हॉस्पीटल, जैसलमेर।	श्री सुरेश खदाव श्री संदीप कुमार

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 13.02.2025
आदेश की दिनांक : 24.02.2025

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से उपस्थिति : श्री हेमन्त परमार, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :— चेतन राम देवडा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

2. उपरोक्त अपीलों में अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपीलों में चुनौती का आधार एवं तथ्यात्मक स्थिति समान होने से, न्यायहित में अपील संख्या 500/2025 सुरेन्द्र सिंह की अपील को अग्रग अपील मानकर उसके तथ्य लेते हुए, उक्त टेबिल में अंकित अपीलों को इस एक ही आदेश से निस्तारित किया जा रहा है।

3. इस अपील में अपीलार्थी के विद्वान अधिउवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में नर्सिंग ऑफीसर के पद पर एस. के. मेडीकल कॉलेज, सीकर में पदस्थापित है। आलौच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से श्री महात्मा गांधी चिकित्सालय, जोधपुर में 320 किलोमीटर की दूरी पर निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 को समंजित करने के उद्देश्य से किया गया है। उक्त स्थानान्तरण आदेश की पालना में आदेश दिनांक 27.01.2025 द्वारा अपीलार्थी को वर्तमान कार्यरत स्थल से कार्यमुक्त कर दियार गया। अपीलार्थी की पत्नी भी नर्सिंग ऑफीसर के पद पर सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में पदस्थापित है (अनुलग्नक–3) तथा राज्य सरकार की नीति के अनुसार पति–पत्नी यदि दौनों ही राज्य कर्मचारी हों तो उन्हें यथा सम्भव एक ही जिले या किसी भी नजदीक के स्थान पर पदस्थापित किया जायेगा। अपीलार्थी के दो छोटे बच्चे हैं जोकि सीकर में ही कक्षा 9 एवं कक्षा 4 (अनुलग्नक–4) में अध्ययनरत हैं तथा उनकी पुत्री की कक्षा 9 की परीक्षाऐं आयोजित होने वाली हैं। अपीलार्थी के माता–पिता भी गम्भीर बीमारी से ग्रसित (अनुलग्न–5) हैं। अपीलार्थी की पत्नी जयपुर में पदस्थापित है, अतः दोनों बच्चों के अध्ययन व देखभाल तथा वृद्ध माता–पिता की भी देखभाल की जिम्मेदारी वर्तमान में अपीलार्थी पर ही है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमा कर आलौच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 15.01.2025 एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 27.01.2025 (अनुलग्न–1 एवं 2) को अपीलार्थी की सीमा तक स्थगित रखते हुए प्रत्यर्थीगण को नोटिसेज जारी किए जावें।

4. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है कि आलौच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 में अपील संख्या 502/2025 में अपीलार्थी का नाम नरेन्द्र कुमार भदाला के स्थान पर नरेन्द्र भदाला, अपील संख्या 503/2025 में विनोद कुमार बोचल्या के स्थान पर विनोद बोचलियार तथा अपील संख्या 504/2025 में

धर्मपाल हरिजन के स्थान पर धर्मपाल नाम अंकित हैं। अतः आलौच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 में अपीलार्थी के नाम में त्रुटि होने के कारण भी उक्त आलौच्य आदेश निरस्त योग्य होने से अपीलार्थियों की सीमा तक इसे स्थगित रखते हुए स्थगन आदेश दिये जाने का निवेदन किया गया।

5. बहस के दौरान अपीलार्थीगण के विद्वान् अधिवक्ताओं द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपीलार्थी द्वारा अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने एवं प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

6. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 2 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

7. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

8. मूल आदेश इस अपील संख्या 500/2025 सुरेन्द्र सिंह बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य की पत्रावली में रखा जावे एवं इस आदेश के शीर्षक की तालिका में वर्णित अन्य अपीलों की पत्रावलियों में इस आदेश की एक–एक छाया प्रति संलग्न की जावे।

(असलम मेहर)
सदस्य

(चेतन राम देवडा)
सदस्य